बउनवान

1. रामनारायण उम्र 90 वर्ष पुत्र श्री धूलीलाल
2. रामदयाल उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल जाति चमार निवासी पीपल्या जागीर तहसील छबड़ा जिला बारां

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा
2. सुनीता उम्र 30 वर्ष पत्नि कमलसिंह एडवोकेट जाति राजपूत निवासी पछाड़ तहसील छबड़ा जिला बारां, राज0
3. दोलतराम उम्र 50 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल जाति नाथ निवासी किशनपुरा तहसील अटरू जिला बारां, राज0

(अप्रार्थीगण)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक (प्रार्थीगण)

2. श्री चन्द्रमोहन वर्मा, अभिभाषक (अप्रार्थी कम 2)

आदेश दिनांक– 16.03.2022

1– प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवान का एक मुकदमा दावा सं. 58/2011 रामनारायण वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह माननीय न्यायालय उप जिला कलेक्टर, छबड़ा में जैरकार है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी कम 2 सुनीता का पति कमलसिंह पेशे से छबड़ा कोर्ट में वकालत करता है तथा विवादित भूमि सुनीता ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामे दौराने वाद खरीदी है क्योंकि पूर्व में दोलतराम ने एक दावा 183 आर.टी.ए. प्रार्थीगण के विरूद्ध उप जिला कलेक्टर, छबड़ा में किया हुआ था। वादग्रस्त भूमि ग्राम पीपल्या तहसील छबड़ा खसरा नंबर 219 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा पर प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे हैं तथा यह भूमि अप्रार्थी कम 3 के नाम दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थी कम 3 ने 183 आर.टी.ए. का दावा किया था जो मुकदमा नंबर 298/2007 पर दर्ज हुआ तथा इस दावे में दोलतराम ने प्रार्थीगण का कब्जा माना, यह दावा दोलतराम ने 12.08.2008 को अदम पैरवी अदम [illegible]जरी में खारिज करवा लिया। इसके बाद इस दावे को नंबर पर नहीं लिया तथा इसी जमीन को उसने अप्रार्थी सुनीता जो एडवोकेट कमलसिंह की पत्नि है, के नाम बेचान करवा दी। [illegible] छबड़ा में प्रभावशाली वकील है जो भी

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 12:02:29 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर [illegible]

अग्रिम तारीख पेशी 24.01.2018 नियत है ।

ठासीन अधिकारी आता है उस पर अपना दबाव बनाकर इस मुकदमे को अपने पक्ष में करवाने के लिये साम, दाम दण्ड, भेद अपनाता है। जिससे प्रार्थीगण को छबड़ा न्यायालय से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। इसी कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 58/2011 विलम्बित हो रहा है। दिनांक 03.01.2018 को दावा संख्या 58/2011 की आदेशिका से यह स्पष्ट है कि दिनांक 26.04.2017 को प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि दोलतराम पुत्र सुन्दरलाल जाति नाथ निवासी किशनपुरा तहसील अटरू को साक्ष्य से तलब किया जावे। प्रार्थना पत्र का जबाव वकील वादी ने पेश किया कि प्रतिवादी सुनीता ही भूमि की खातेदार है। सुनीता के बयानों से कानून प्रदर्श किये जा सकते है। प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो की बहस सुनी। वकील वादी कथन अनुसार वकील प्रतिवादी अनावश्यक रूप से प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय एवं वादी का समय नष्ट कर रहे है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। वकील प्रतिवादी कथन अनुसार साक्ष्य तलबी हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें। दोना पक्षो की बहस पर मनन करने के उपरान्त दोलतराम पुत्र सुन्दरलाल साक्ष्य हेतु तलब किया जाना आवश्यक नहीं है। साक्ष्य तलबी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। साक्ष्य पेश करने हेतु वादी एवं प्रतिवादी स्वतंत्र है। इस आदेशिका में न्याय नहीं होने के संकेत मिल रहे है। क्योकि पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मे चल रही है और जब यह प्रार्थना पत्र वादी ने पेश किया तो वादी को अगली पेशी साक्ष्य वादी में देनी चाहीए। जबकि इसी आदेकिश के पेज नं. 2 पर वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने साक्ष्य पेश करने के लिए स्वतंत्र है। एवं लाईन नं. 4 में साक्ष्य वादी के स्थान पर साक्ष्य प्रतिवादी बढा दिया गया है। इससे प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय पर भरोसा नही है। अतः प्रार्थीगण का वाद प्रकरण सं. 58/2011 बउनवान रामनारायण वगै0 बनाम राजस्थान सरकार वगै0 को उपजिला कलक्टर, छबडा से उपजिला कलक्टर, बारां के न्यायालय में मुन्तकिल करने के आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलबै किया गया तथा पीठासीन अधिकारी एस.डी.ओ. छबडा को प्रार्थना पत्र मेमो की प्रति भेजकर बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब मय मूल रिकार्ड मंगवाया गया।

अप्रार्थी कम 2 जर्ये अभिभाषकगण उपस्थित हुये तथा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय छबड़ा से मूल रिकार्ड प्राप्त हुआ तथा बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब प्राप्त नही हुआ।

उपस्थित अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया तथा सीधे बहस करना चाहा।

हमने बहस उभयपक्षी विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी कम 2 का पति पेशे से वकील हैं, तथा न्यायालय उप जिला कलेक्टर, छबड़ा में वकालत करता है तथा प्रभावशाली

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर बारां (राज०)
Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 12:02:29 IST
Reason: SelfAttested

वकील है जो भी पीठासीन अधिकारी आता है उस पर अपना दबाव बनाकर इस मुकदमे को अपने पक्ष में करवाने के लिये साम, दाम दण्ड, भेद अपनाता है। जिससे प्रार्थीगण को छबड़ा न्यायालय से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। साथ ही कथन किया कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते साक्ष्य हेतु तलब करने अप्रार्थी क्रम 3 अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का बताकर निरस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का वाद प्रकरण सं. 58/2011 बउनवान रामनारायण वगै0 बनाम राजस्थान सरकार वगै0 को उपजिला कलक्टर, छबडा से अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल करने के आदेश फरमावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 2 ने दौराने बहस कथन किया कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, महोदय का स्थानान्तरण हो गया है। तथा पक्षकार का पति वकील होना पत्रावली सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने का आधार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण के कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि किस पक्षकार का परिवारजन पेशे से एडवोकेट होना प्रकरण को अन्यत्र किये जाने का आधार नहीं है साथ ही हम यहां यह भी स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि यदि प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.01.2018 से संतुष्ट नहीं थे तो उसकी निगरानी सक्षम न्यायालय में पेश कर सकते थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 12:02:29 IST
Reason: SelfAttested